न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री श्यामसुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 1/120/2024 दायर दिनांकः– 10/06/2024

जीसीएमएस नं0:–2024/258 निर्णय दिनांकः– 12/01/2026

वउनवान

1. श्रीमती भूरी देवी पत्नी रामस्नेही जाति हैवासी ब्राहम्ण निवासी रामनगर तहसील कठूमर जिला अलवर।

––वादी

बनाम

1. कमलेश पत्नी सचिन कुमार जाति हैवासी ब्राहम्ण निवासी रामनगर
2. सत्यवती पत्नी रमेशचन्द जाति हैवासी ब्राहम्ण निवासी रामनगर
3. गोरीशंकर पुत्र रमेशचन्दजाति हैवासी ब्राहम्ण निवासी रामनगर
4. हरिशंकर पुत्र रमेशचन्द जाति हैवासी ब्राहम्ण निवासी रामनगर
5. रवि शंकर पुत्र रमेशचन्दजाति हैवासी ब्राहम्ण निवासी रामनगर
6. रमेशचन्द पुत्र रामजीलाल जाति हैवासी ब्राहम्ण निवासी रामनगर
7. सचिन कुमार पुत्र रामजीलाल जाति हैवासी ब्राहम्ण निवासी रामनगर
8. मायादेवी पुत्री मन्नादेवी जाति हैवासी ब्राहम्ण निवासी गारू
9. शकुन्तला पुत्री मन्नादेवी जाति हैवासी ब्राहंम्ण निवासी गारू
10. गेापाल पुत्र मन्नादेवी जाति हैवासी ब्राहम्ण निवासी गारू
11. जगदीश पुत्र माता मन्नादेवी जाति हैवासी ब्राहम्ण निवासी गारू तहसील कठूमर जिला अलवर।

–– प्रतिवादीगण

दावा तकसीम व हुक्मइन्तनाई अन्तर्गत धारा–53,188राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः–1.श्री राजेन्द्रसिंह चौधरी–अधिवक्ता वादी
2.श्री बनयसिंह चौधरी–अधिवक्ता प्रतिवादी

–:निर्णयः–

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 211 रकबा 0.25 हैक्ट0 वाके ग्राम रामनगर तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी वादीगण के बाबा नन्दलाल की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जो नंदलाल की मृत्यु हो जाने पर विरासत नामांतकरण नत्थीलाल, रामजीलाल पुत्रान नंदलाल के नाम दर्ज हो गया, रामजीलाल के मरने के बाद उसका विरासत इंतकाल रमेशचन्द, सचिन कुमार के नाम दर्ज हुआ, नत्थीलाल के कोई औलाद नहीं थी उसके हक मात्र उसकी पत्नी केशरदेवी थी, केशरदेवी ने अपने जीवनकाल में जरिये वसीयत अपने वारिस जमीन जायदाद का प्रतिवादीगण कमलेश, सत्यवती, गोरीदेवी, हरिशंकर, रविशंकर को उत्तराधिकारी बनाया। बसीयतनामा के आधार पर नामान्तकरण 787 दर्ज हो गया इस प्रकार मृतका केशरदेवी से आरांजी प्रतिवादीगण को आराजी प्राप्त हुई। मृतक नत्थीलाल व प्रतिवादी रमेशचन्द, सचिन कुमार आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 211 रामनगर के रकबा 0.25 है0 अपना सम्पूर्ण रकबा को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 02.08.2010 को वादीया को मुबलिग 1,30000 रूपये नगद लेकर बेचान कर रजिस्टर्ड बयनामा करा दिया जो रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर नामान्तकरण संख्या 534 पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया जिसे ग्राम पंचायत तिगरिया द्वारा तस्दीक किया गया है आराजी खरीदने के बाद विक्रेतागण व इनके वारिसान का आराजी पर कोई कब्जा नही रहा ना इनका कोई आराजी से वास्ता है लेकिन राजस्व कर्मचारीयो ने सहवन से इतंकाल का अमल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने से छोड दिया जिससे उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में विक्रेताओं के नाम बोलती रही विक्रेता नत्थीलाल के मरने के बाद केसरदेवी ने गलत इन्द्राज के आधार पर अपनी चल व अचल सम्पत्ती की वसियत प्रतिवादी के हक़ में लिख़दी जिससे उक्त बसीयत के आधार पर गलत रूप से बयनामा के बाद मन्नादेवी के नाम विरासत आ गई मन्नादेवी के मरने के वाद प्रतिवादीगण के नाम विरासत आई जो सभी विरासत रजिस्टर्ड बयनामा के बाद गलत रूप से दर्ज हुई है। जिस पर प्रविादीगण से वादीया ने उक्त आराजी को वादीया के नाम रिकॉर्ड मे दर्ज करवाने को कहा तो मना कर दिया वादीया के साथ मजा़मत करने व आराजी को गलत इन्द्राज के आधार पर रहन बय आदि की धमकी दी गई। अतः दावा इस्तकराहक डिक्री एवं आराजी खसर नम्बर हाल 211 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम रामनगर तहसील कठूमर का वादनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण का नाम हाल राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जावे स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री से प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वो आराजी वाके ग्राम रामनगर में वादीया के शान्त मय कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा न करें प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने व मुताबिक दावा अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये गये। प्रतिवादीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने हाजिर अदालत

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

होकर इकबाल जवाब दावा पेश किया गया। एवं वादी द्वारा दावा के समर्थन में पीडब्लू –1 भूरीदेवी, पीडब्लू–2 लक्ष्मणप्रसाद, पीड्ब्लू–3 जयदेव, के बयान लेखवद्ध किये गये शामिल मिसल किये गये, वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 वाके ग्राम रामनगर व असल बयनामा 02.08.2010, इन्तकाल नं0 534 वाके ग्राम रामनगर नकल जमाबन्दी सन् 1966 से 69 व इन्तकाल संख्या 787 वाके ग्राम रामनगर की छायाप्रति पेश की है, जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से यह साबित है कि विवादित आराजी प्रतिवादीगण के नाम विरासत आई जो सभी विरासत रजिस्टर्ड बयनामा के बाद गलत रूप से दर्ज हुई है। प्रतिवादीगण के द्वारा ईकबाल जबाव पेश कर दावा के तथ्यों को स्वीकार किया. है विवादित आराजी को मुताबिक ईकबाल जवाब के आधार पर डिक्री किया जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसकी हम उभय पक्ष सहमति देते है। प्रतिवादीगण के ईकबाल जबाव के आधार पर वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

–:आदेशः–

अतः दावा वादी मुताबिक प्रतिवादीगण ईकबाल जबाव के अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसर नम्बर हाल 211 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम रामनगर तहसील कठूमर का वादनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण का नाम हाल राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाता है स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जाता है कि वो आराजी 211 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम रामनगर में वादीया के शांत मय कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा न करें तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 12.01.2026 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्यामसुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री श्यामसुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 1/120/2024 दायर दिनांकः– 10/06/2024
जीसीएमएस नं0:–2024/258 निर्णय दिनांकः– 12/01/2026

वउनवान

1. श्रीमती भूरी देवी पत्नी रामस्नेही जाति हैवासी ब्राहम्ण निवासी रामनगर तहसील कठूमर जिला अलवर।

––वादी

बनाम

1. कमलेश पत्नी सचिन कुमार जाति हैवासी ब्राहम्ण निवासी रामनगर
2. सत्यवती पत्नी रमेशचन्द जाति हैवासी ब्राहम्ण निवासी रामनगर
3. गोरीशंकर पुत्र रमेशचन्दजाति हैवासी ब्राहम्ण निवासी रामनगर
4. हरिशंकर पुत्र रमेशचन्द जाति हैवासी ब्राहम्ण निवासी रामनगर
5. रवि शंकर पुत्र रमेशचन्दजाति हैवासी ब्राहम्ण निवासी रामनगर
6. रमेशचन्द पुत्र रामजीलाल जाति हैवासी ब्राहम्ण निवासी रामनगर
7. सचिन कुमार पुत्र रामजीलाल जाति हैवासी ब्राहम्ण निवासी रामनगर
8. मायादेवी पुत्री मन्नादेवी जाति हैवासी ब्राहम्ण निवासी गारू
9. शकुन्तला पुत्री मन्नादेवी जाति हैवासी ब्राहम्ण निवासी गारू
10. गेपाल पुत्र मन्नादेवी जाति हैवासी ब्राहम्ण निवासी गारू
11. जगदीश पुत्र माता मन्नादेवी जाति हैवासी ब्राहम्ण निवासी गारू तहसील कठूमर जिला अलवर।

–– प्रतिवादीगण

दावा तकसीम व हुक्मइन्तनाई अन्तर्गत धारा–53,188राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः दावा वादी मुताबिक प्रतिवादीगण ईकबाल जबाव के अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसर नम्बर हाल 211 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम रामनगर तहसील कठूमर का वादनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण का नाम हाल राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाता है स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जाता हैं कि वो आराजी 211 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम रामनगर में वादीया के शांत मय कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा न करें।

आज दिनांक 12.01.2026 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय सील से जारी हुई।

श्यामसुन्दर चेतीवाल(आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0